विभागी
नि

राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

प. 6(19) राज-6/92 पार्ट 1 जयपुर दिनांक 7.2.2004

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा राजस्थान भू-राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 13 के उप नियम(1) के अन्तर्गत जिलों में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आवंटन सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन पूर्व में समय समय पर किया गया था। प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग के पत्र क्रमांक 5(2)प्र.सु./अनु-3/2003 पार्ट दिनांक 2-1-04 के अनुसरण में उक्त भू-आवंटन सलाहकार समितियों में पूर्व में किये गये सभी गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(बी.एस. मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि -निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी। राजस्थान।
4. प्रशासनिक सुधार(अनुभाग-3) विभाग को उनकी अ.शा. टीप संख्या प. 5(2)प्र सु/अनु-33 /2003 पार्ट दिनांक 2-1-04 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
5. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
6. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. उप निबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव